संख्या 65 /XII/2008/82(26)/2003

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2009

विषयः–अनुदान संख्या–19, लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–07–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के पुनर्विनियोग के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 4079/रा.नि.आ./791–वै–/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रु0 1,20,000–00 मात्र (रु0 एक लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आपके नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय ।

4. इसे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा ।

5. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

6. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

7. पुनर्विनियोग के पश्चात् यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में वर्ष भर की आवश्यकता के सापेक्ष धनराशि कम न हो।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय–07– राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय)–00– की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन स्तम्भ–1 के लेखाशीर्षक के परिवर्तों से पुनर्विनियोग से वहन किया जाएगा जो साथ में संलग्न है।

क्रमशः 2

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-206(NP)/XXVII-4/2008, दिनांक 13 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या 650/XII/08/82(26)/2003 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून,उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एस0शर्मा)
अनु सचिव।

15 –व्ययक प्रपत्र–15

विभाग का नाम :– पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग

पुनर्विनियोग 2008–2009 / आयोजनेत्तर पक्ष

अनुदान संख्या–19

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यवधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जा रहा है तथा स्थानान्तरित धनराशि		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	औचित्य
1		2	3	4	5		6	7	8
2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय –07– राज्य निर्वाचन आयोग(जिला स्तरीय)					2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय– 06– राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकाय आदि हेतु)				क– बचत विभाग की वास्तविक आवश्यकतानुसार इस मद में उपलब्ध है। ख– मानक मदों में संगत लेखों में बजट व्यवस्था कम होने के कारण
27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	50	—	—	50	01–वेतन	120	220	—	
46–कम्प्यूटर क्रय	50	—	—	50				—	
48–महगाई वेतन	50	19	11	20				30	
योग–	150	19	11	120		120	220	30	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल परिच्छेद– 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या 206(NP) / वि0अनु0–4 / 2008

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

संख्या 65 /XII/08/82(26)/2003 दिनांक 29 जनवरी,2009
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.निदेशक, पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
3.वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन ,
4.गार्ड फाईल

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।